

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 115 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० / 2025-26.

दिनांक:- 12/01/2026

वाद योजित तिथि -10.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-10.12.2025

निर्णय उद्घोषित तिथि- 27.12.2025

शिकायत संख्या:- 51 / 2025-26

श्री बलवीर सिंह, ग्राम-पनाई पो०-गौचरपरिवादी।

बनाम

अधिशारी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसँण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।

उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।


श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

निर्णय


1. परिवादी श्री बलवीर सिंह, ग्राम-पनाई पो०-गौचर, वि०वि०खण्ड गैरसँण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैंप के दौरान विद्युत मीटर के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का पुराना मीटर जला हुआ है, एवं नया मीटर लगवाना है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Page | 2



सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (नण्डल) UFCL



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (नण्डल) UFCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 115 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० /2025-26,

दिनांक:- 12/01/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई, विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को मौखिक रूप से अवगत किया गया कि उक्त परिवादी के परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
3. विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-389/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक:-26.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के जले हुए मापक को बदलवाने हेतु सहायक अभियन्ता (मीटर) को अवगत कराया जा चुका है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।


पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (निकट) ताज पैलेस गौचर



रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(कर्णप्रयाग) (NCCCL)

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 116 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० / 2025-26,

दिनांक:- 12/01/2026

वाद योजित तिथि -10.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-10.12.2025

निर्णय उद्घोषित तिथि-27.12.2025

शिकायत संख्या:- 52 / 2025-26

श्रीमती सुशीला देवी, ग्राम-भटनगर पो०-गौचर,.....परिवादी।

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण,.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।

उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।


श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।


निर्णय

1. परिवादी श्रीमती सुशीला देवी, ग्राम-भटनगर पो०-गौचर, वि०वि०खण्ड गैरसैण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत मीटर के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत मीटर जला हुआ है, एवं नया मीटर लगवाना है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Page | 2


सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 116 /उ०शि०नि०मं०कर्ण०/2025-26,


दिनांक:- 12/01/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.12.2025 को कैंप के दौरान ही की गई, विपक्षी की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को मौखिक रूप से अवगत किया गया कि उक्त परिवादी के परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
3. विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-389/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक:-26.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के जले हुए मापक को बदलवाने हेतु सहायक अभियन्ता (मीटर) को अवगत कराया जा चुका है।


आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अजुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 117 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० /2025-26.

दिनांक:- 12 / 01 / 2026

वाद योजित तिथि -10.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-10.12.2025

निर्णय उद्घोषित तिथि- 27.12.2025

शिकायत संख्या:- 53 / 2025-26

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सुदर्शन सिंह खत्री, ग्राम-बमोथ पो०-शान्तिसदन.....परिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।


उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।


निर्णय

1. परिवादी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सुदर्शन सिंह खत्री, ग्राम-बमोथ पो०-शान्तिसदन, वि०वि०खण्ड गैरसैण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैंप के दौरान विद्युत मीटर एवं विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत मीटर खराब है। एवं विद्युत बिल अत्यधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।



सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (खण्डत) UPCL



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (खण्डत) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 117 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० /2025-26,


दिनांक:- 12/01 /2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई, विपक्षी की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को मौखिक रूप से अवगत किया गया कि उक्त परिवादी के परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
3. विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-389/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक:-26.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के जले हुए मापकों को बदलवाने हेतु सहायक अभियन्ता (मीटर) को अवगत कराया जा चुका है।

आदेश


परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 118 /उ०शि०नि०म०क०र्ण० /2025-26,

दिनांक:- 12 / 01 / 2026

वाद योजित तिथि -10.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-10.12.2025

निर्णय उद्घोषित तिथि-27.12.2025

शिकायत संख्या:- 54 / 2025-26

श्री कुलदीप सिंह, ग्राम-पनाई पो०-गौचरपरिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।

उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।


श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

निर्णय


1. परिवादी श्री कुलदीप सिंह, ग्राम-पनाई पो०-गौचर, वि०वि०खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैंम्प के दौरान विद्युत मीटर एवं विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत मीटर जला हुआ है, एवं नया मीटर लगाना है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Page | 2



सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (खण्ड) UPCL



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (खण्ड) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 118 / उ०शि०नि०म०कर्ण० / 2025-26,


दिनांक:- 12/01/2026

- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.12.2025 को कैंम्प के दौरान ही की गई, विपक्षी की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को मौखिक रूप से अवगत किया गया कि उक्त परिवादी के परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
- विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-389/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक:-26.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के जले हुए मापकों को बदलवाने हेतु सहायक अभियन्ता (मीटर) को अवगत कराया जा चुका है।


आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 119 /उ०शि०नि०मं०क०र्ण० / 2025-26,

दिनांक:- 12/01/2026

वाद योजित तिथि -10.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-10.12.2025

निर्णय उद्घोषित तिथि- 27.12.2025

शिकायत संख्या:- 55/2025-26

श्री सुरेश चन्द्र रावलनगर पो०-गौचर प्रतिनिधि श्री विनोद कुमारपरिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।

उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री सुरेश चन्द्र रावलनगर पो०-गौचर, वि०वि०खण्ड गैरसैण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैंप के दौरान विद्युत मीटर के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल अधिक आ रहा है जिस कारण वह अपनी दुकान में चेक मीटर लगवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Am

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

R. Singh

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 119 /उ०शि०नि०मं०क०र्ण० /2025-26.


दिनांक:- 12/10/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.12.2025 को कैंम्प के दौरान ही की गई, विपक्षी की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को मौखिक रूप से अवगत किया गया कि उक्त परिवादी के परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
3. विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-389/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक:-26.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता का चेक मीटर हेतु पंजीकरण किया जा चुका है। उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त संयोजन पर चेक मीटर स्थापित कर दिया जाएगा।


आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग, उत्तराखण्ड, UPCL


रघुराज सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 120 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० /2025-26,

दिनांक:- 13 /01 /2026

वाद योजित तिथि -10.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-10.12.2025

निर्णय उद्घोषित तिथि-27.12.2025

शिकायत संख्या:- 56 / 2025-26

श्री तीरथ सिंह ग्राम-पनाई पो०-गौचरपरिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।

उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री तीरथ सिंह ग्राम-पनाई पो०-गौचर, वि०वि०खण्ड गैरसैण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत कनेक्शन न०-GS12109017072 है, जिस पर विद्युत बिल आपूर्ति से अत्यधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Page | 2

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL.

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 120 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० / 2025-26,


दिनांक:- 13 / 01 / 2026

- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.12.2025 को कैंम्प के दौरान ही की गई, विपक्षी की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को मौखिक रूप से अवगत किया गया कि उक्त परिवादी के परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
- विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-389 /वि०वि०उ०ख०(कर्ण०) /उपाकालि /CGRF दिनांक:-26.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता को मीटर यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मीटर रीडिंग अथवा मीटर पर संशय होने की स्थिति में उपभोक्ता निर्धारित चेक मीटर शुल्क जमा करके अपने संयोजन पर चेक मीटर स्थापित करवा सकता है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (निकट) UPCL



रघुराज सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (निकट) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 121 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० /2025-26,

दिनांक:- 13/01/2026

वाद योजित तिथि -10.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-10.12.2025

निर्णय उद्घोषित तिथि-27.12.2025

शिकायत संख्या:- 57 / 2025-26

श्रीमती सतेश्वरी बहुगुणा पत्नी स्व० हरेन्द्र प्रसाद बहुगुणा, निकट-द्रोणागिरी गौचर,.....परिवादी।

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसँण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।

उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।


श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्रीमती सतेश्वरी बहुगुणा पत्नी स्व० हरेन्द्र प्रसाद बहुगुणा, निकट-द्रोणागिरी गौचर, वि०वि०खण्ड गैरसँण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैंम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत कनेक्शन न०-GS12107016778 है, जिस पर विद्युत बिल आपूर्ति से अत्यधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Page | 2



सदस्य- उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429


पत्रांक:- 121 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० / 2025-26.

दिनांक:- 13/01/2026

- मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई, विपक्षी की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को मौखिक रूप से अवगत किया गया कि उक्त परिवादी के परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
- विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-389/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक:-26.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता को मीटर यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मीटर रीडिंग अथवा मीटर पर संशय होने की रिधति में उपभोक्ता निर्धारित चेक मीटर शुल्क जमा करके अपने संयोजन पर चेक मीटर स्थापित करवा सकता है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- /22 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० /2025-26,

दिनांक:- /3 / 0 / 2026

वाद योजित तिथि -10.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-10.12.2025

निर्णय उद्घोषित तिथि-27.12.2025

शिकायत संख्या:- 58 / 2025-26

श्री महावीर सिंह पुत्र श्री हरि सिंह ग्राम-बन्दरखण्ड पो०-गौचर,.....परिवादी।

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसँण.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।

उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री महावीर सिंह पुत्र श्री हरि सिंह ग्राम-बन्दरखण्ड पो०-गौचर, वि०वि०खण्ड गैरसँण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैंम्प के दौरान विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत कनेक्शन न०-GS12105706470 है, जिस पर विद्युत बिल आपूर्ति से अत्यधिक आ रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Page | 2



सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- /22 /उ०शि०नि०मं०कर्ण० /2025-26,


दिनांक:-/13 /०1 /2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.12.2025 को कैंम्प के दौरान ही की गई, विपक्षी की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को मौखिक रूप से अवगत किया गया कि उक्त परिवादी के परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
3. विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-389/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक:-26.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता को मीटर यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मीटर रीडिंग अथवा मीटर पर संशय होने की स्थिति में उपभोक्ता निर्धारित चेक मीटर शुल्क जमा करके अपने संयोजन पर चेक मीटर स्थापित करवा सकता है।


आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 123 /उ०शि०नि०मं०कर्ण०/2025-26.

दिनांक:- 13/01/2026

वाद योजित तिथि -10.12.2025

अंतिम सुनवाई तिथि-10.12.2025

निर्णय उद्घोषित तिथि-27.12.2025

शिकायत संख्या:- 59 / 2025-26

श्री संदीप नेगी पुत्र श्री जीतपाल सिंह निवासी वार्ड नं०-7 पनाई तल्ली पलसारी गौचरपरिवादी।

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसँग.....विपक्षी।

कोरम-

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी कर्णप्रयाग।

उद्घोषित द्वारा :- श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह-तकनीकी सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री संदीप नेगी पुत्र श्री जीतपाल सिंह निवासी वार्ड नं०-7 पनाई तल्ली पलसारी गौचर, वि०वि०खण्ड गैरसँग द्वारा दिनांक 10.12.2025 को कैंप के दौरान विद्युत मीटर के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत मीटर खराब है, एवं नया मीटर लगाना है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

Page | 2



सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (खण्डल) UPCL



सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (खण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 123 / उ०शि०नि०मं०कर्ण० / 2025-26.


दिनांक:- 13 / 01 / 2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 10.12.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई, विपक्षी की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच को मौखिक रूप से अवगत किया गया कि उक्त परिवादी के परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के परिवाद का समाधान में की गई कार्रवाई से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करें।
3. विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-389/वि०वि०उ०ख०(कर्ण०)/उपाकालि/CGRF दिनांक:-26.12.2025 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के जले हुए मापक को बदलवाने हेतु सहायक अभियन्ता (मीटर) को अवगत कराया जा चुका है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।


पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)